खाद्य पदार्थ और औषधियों में मिलावट का 'खेल' – एक अमानवीय एवं प्राणघातक कृत्य

गौरीशंकर वैश्य विनम्र

"खाद्य और औषधियाँ मानव जीवन की आधारशिला हैं, परंतु जब यही जीवनदाता पदार्थ मृत्यु का कारण बनने लगें, तो यह सभ्यता के लिए घोर संकट का संकेत है।"

आज भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व खाद्य एवं औषधि मिलावट की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमारे दैनिक आहार — दूध, घी, मसाले, मिठाइयाँ, तेल, सब्जियाँ — यहाँ तक कि जीवनरक्षक दवाइयाँ भी अब पूर्णतः शुद्ध नहीं रहीं। यह स्थिति न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, अपितु सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पतन का भी द्योतक है।

होली, दीवाली जैसे बड़े पर्वों पर बाजारों में मिठाई और अन्य खाद्य - पदार्थों की माँग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में चर्चित ब्रांड द्वारा उत्पाद की आड़ में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है।एफएसडीए टीम ने इस दीवाली त्यौहार के अवसर पर छापामारी की। अकेले लखनऊ में ही एक पैकेजिंग प्लांट पर छापे में बड़ी मात्रा में मिलावटी सरसों का तेल बरामद किया। पैकेजिंग के नाम पर राइस ब्रान तेल में रंग मिलाकर सरसों का तेल तैयार कर बाजार में खपाया जा रहा था। आलू को रंगकर लाल किया जा रहा था। हानिकारक रसायन, खतरनाक रंगों और मिट्टी के प्रयोग से पुराने आलू को नया आलू बनाकर बाजारों में बेचा जा रहा है। सड़ा चिलगोजा, खजूर - छुहारा, एक्सपायर्ड खराब आटा पैकेट, मिठाई,प्रमुख ब्रांडों से मिलते - जुलते नाम वाली पानी की बोतलें, आठ कुंतल मिलावटी खोवा, घटिया सोनपापड़ी, ६००० लीटर नकली सरसों तेल, सिंथेटिक पनीर, ५० कुंतल से अधिक खराब घटिया ड्राई फ्रूट्स, २०० किलो सड़ा खराब सूजी हलवा, तथा १२६२५ किलोग्राम घटिया खाद्य सामग्री नष्ट की गई। यह केवल ५ -

१०दिन की छापामारी का कमाल है, यदि ऐसी ही जाँच पूरे देश में सघन रूप से की जाए, तो विचार करें कि स्थिति कितनी भयावह और चिंताजनक हो सकती है। प्रश्न यह भी है कि आखिर यह त्यौहारी जाँच ही क्यों? इससे जाँच एजेंसियां भी प्रश्न के घेरे में आ जाती हैं।

ऐसे में केवल सरकारी मशीनरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों को भी जागरूक और सजग होना होगा। उन्हें सतर्क होकर शुद्धता के लिए लड़ाई लड़नी होगी। समय-समय पर ब्रांडेड और पैक्ड उत्पादों के स्वाद को भी पहचानना चाहिए। कई बार अधिक माँग के कारण ग्राहक लेबल एक्सपायरी डेट और असली - नकली भी नहीं देखते हैं। त्यौहारी सीजन में मिलावटखोर चर्चित और आकर्षक पैकेजिंग के नाम पर ग्राहकों को भ्रम में डाल देते हैं। ऐसे में उपभोक्ता को 'खाद्य एवं मानक अधिनियम २००६ 'के अंतर्गत अपने स्तर पर भी खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जाँच करवानी चाहिए। यदि किसी खाद्य उत्पाद में संदेह है, तो ग्राहक सैंपल जाँच के लिए सरकारी या निजी लैब में भेज सकता है। सरकारी लैब की रिपोर्टे कानूनी रूप से मान्य होती है और इसके आधार पर मिलावट करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य उपभोक्ता को असली-नकली की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक है।

मिलावट की परिभाषा और स्वरूप

मिलावट का अर्थ है किसी खाद्य या औषधि पदार्थ में ऐसे तत्त्वों का सम्मिलन जो उसके **स्वाभाविक गुण**, **स्वाद**, **रंग**, **पोषकता या औषधीय प्रभाव** को बदल दें अथवा घटा दें।

यह कार्य अधिक लाभ कमाने, लागत घटाने या कृत्रिम रूप से पदार्थ को आकर्षक बनाने हेतु किया जाता है।

मिलावट के प्रमुख रूप –

1. **रासायनिक मिलावट**: जैसे दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, फॉर्मेलिन आदि डालना।
2. **भौतिक मिलावट**: जैसे चावल में पत्थर, मिर्च पाउडर में ईंट या रंगीन बुरादा मिलाना।
3. **जैविक मिलावट**: फफूँदी, कीटाणु या जीवाणुओं द्वारा दूषण।
4. **औषधीय मिलावट**: नकली, एक्सपायर्ड या घटिया गुणवत्ता की दवाओं का उपयोग।

खाद्य पदार्थों में मिलावट – वैज्ञानिक दृष्टि से एक अध्ययन

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, भारत में लगभग **७०% से अधिक खाद्य पदार्थ किसी न किसी स्तर पर मिलावटी पाए जाते हैं**।

(क) दूध और दुग्ध उत्पाद

मिलावट के रूप: पानी, यूरिया, डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, स्टार्च, फॉर्मेलिन।

खोवा :खराब गुणवत्ता, फफूंद लगा, मिलावटी, घटिया, आलू, घुइँयाँ, मैदा।

सिंथेटिक खोवा :टेलकम पाउडर, रिफाइंड, मेज स्टार्च, रसायन, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सफेद पाउडर, माल्टो डेक्सिट्रन पाउडर।

पनीर, दही :सस्ता स्किम्ड पाउडर,घटिया वेजीटेबल आयल, बेकिंग पाउडर, स्किम्ड मिल्क।

दूध :डिटर्जेंट, स्टार्च, गंदा पानी, दूषित बर्फ, यूरिया, कास्टिक सोडा, प्रतिबंधित माल्टो डेक्सिट्रन पाउडर, मक्खन निकाल लेना, सोडियम बाईकार्बोनेट मिलाना।

मक्खन :आलू, शकरकंद,

वैज्ञानिक प्रभाव:

1.यूरिया व डिटर्जेंट से गुर्दे एवं यकृत (लीवर) को नुकसान।

2.फॉर्मेलिन कैंसरकारी तत्व है।

3.बच्चों में विकास रुकने एवं पाचन विकार।

(ख) तेल और घी:

मिलावटी तेल : सस्ते तेल एवं एक्सपायर्ड तेल (पाम ऑयल, मिनरल ऑयल) का मिश्रण, कृत्रिम रंग और सुगंध, सरसों तेल में आर्गेनिक तेल, मोबिल तेल, खनिज तेल (लेबलिंग नहीं), सरसों के तेल में सुगंध के लिए केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

घी :उबले हुए आलू, जानवरों की चर्बी, वनस्पति घी ।

सोयाबीन प्रोटीन :इससे तेल अलग करने के लिए दानों को गैसोलीन रिफाइनिंग के उप- उत्पाद हैग्जेन में डुबोया जाता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, उदर विकार, लकवा, मोटापा, ट्रांस-फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, पाचन रोग आदि।

(ग) मसाले, मिठाइयाँ, नमकीन, दालें आदि:

- **मसालों में मिलावट**: हल्दी में लेड क्रोमेट (सीसा युक्त रंग) तथा खेसारी दाल, मटर, लाल मिर्च में लाल रंग, लाल ईंट का बारीक चूरा या सिंथेटिक डाई, भूसा, लकड़ी का चूरा रोडा माइन केमिकल , धनिया में घास के बीज तथा पशुओं की लीद, काली मिर्च में पपीता के बीज। इसके खाने से आंत के रोग, रक्त कैंसर, पाचन रोग आदि हो सकते हैं।
- **मिठाइयों में**: कृत्रिम चमकीले रंग, खतरनाक सुगंधित रसायन, पुराना मावा, कपड़े धोने वाला पाउडर , गंदगी से भरी, फफूंद लगी मिठाई, खराब गुणवत्ता की मिठाई, काजू की बर्फी में पिसी मूंगफली, सोनपापड़ी में खराब आटा, विषैले रंग, शहद में चीनी। इसके सेवन से पेट के रोग, रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं
- **नमकीन में** :हानिकारक रंगों से बना नमकीन. तरह-तरह के चिप्स, पापड़. दालमोठ में आवश्यक मात्रा से कई गुना अधिक कलर की मिलावट, चने के बजाय खराब आटे को कलर मिलाकर बेसन के नमकीन। नकली बेसन में मैटानिल पीला रंग मिलाना। यह यकृत,

किडनी और प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है।

- **बेकरी में** :फ्री फैटी एसिड कई गुना मिला दिया जाता है, जबकि मात्रा ०.२५ होनी चाहिए। आइसक्रीम में धुलाई का सोडा मिला दिया जाता है। इससे लीवर, किडनी और पाचनतंत्र खराब हो सकते हैं।
- **कुट्टू और सिंघाड़े के आटे में** :नवरात्र जैसे व्रतों में लोग अन्न नहीं खाते हैं। इसके स्थान पर कुट्टू और सिंघाड़े का आटा प्रयोग करते हैं। उसमें भी मिलावटखोर चावल के आटे को मिला देते हैं। इससे आंत के रोग, पाचनतंत्र खराब हो जाते हैं
- **चाय में** :पेड़ों की पत्ती, रंगी भूसी, डुप्लीकेट चाय. लोहे के कण। इससे अल्सर और आंत के रोग हो जाते हैं।
- **महीन चीनी में** : गेहूँ का आटा। इससे पेट खराब हो जाता है।
- **आटा में** :सूजी के आटे में लोहे या कोयले के कण, गेहूँ के आटे को अधिक सफेद बनाने के लिए अनेक ब्लीचिंग एजेंट्स जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोराइड और नाइट्रोसिल।
- **मैदा में** : बढ़िया रंग देने के लिए इसमें बेन्जोइल पराक्साइड मिला दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। फलतः मलबद्धता और आंत का अल्सर हो जाता है।
- **दालों में** :अरहर ओर चने की दाल में खेसारी दाल, जिसमें विशेष प्रकार के जहरीले तत्व (ब्यूटाइरिक अम्ल, ऐलेनियम, तथा डाइ अमीनोप्रोपिओनिक अम्ल) होते हैं , जो पाचनतंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं ।
- **जूस तथा पेय पदार्थों में** :कीटनाशक एवं रसायनों का प्रयोग तथा चीनी की अधिक मात्रा। संतरे के जूस में कई तरह के एसिड मिलाना। सोडा ड्रिंक में मिलावट से सोडा और दूसरे शक्कर के पेयों से प्रतिवर्ष विश्व भर में लगभग दो लाख लोगों की मृत्यु। इससे हृदय, मधुमेह तथा कैंसर संबंधित बीमारियाँ बढ़ रही हैं।
- **अचार में** :अचार के संरक्षण के लिए कृत्रिम सिरका सहित अन्य रसायन, घटिया स्तर का सरसों का तेल, मिलावटी हल्दी मिलावटी लाल मिर्च और सड़े - घुनें मसालों का प्रयोग अचार में आर्जीमोन की मिलावट से किडनी और पाचनतंत्र को नुकसान। नौरंगी अचार स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक।
- **मैगी में** :इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) और सीसे की मात्रा तय मानक मात्रा से अधिक मिला दी जाती है, यह खाद्य में स्वाद और चिकनाई को बढ़ा देता है। यह 'साइलेंट किलर 'कहा जाता है। इससे सिरदर्द, पसीना, स्किन रैशेज हो जाते हैं।

मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों का दुष्प्रभाव: पाचन विकार, त्वचा रोग, आन्त्र

रोग. गठिया, जोड़ों का दर्द, कैंसर, पथरी, अल्सर, एलर्जी, बच्चों में मानसिक व शारीरिक विकास में बाधा आदि बीमारियाँ हो जाती हैं।

(घ) सब्जियाँ और फल

रसायनों का प्रयोग एवं उनके दुष्प्रभाव :

-एथिलीन गैस या कैल्शियम कार्बाइड से कृत्रिम रूप से फल पकाना।इससे पाचन संबंधी रोग हो जाते हैं।

-मेटानिन यूरो और टाट्राजीन दोनों खतरनाक रसायन हैं। इनका प्रयोग चावल और दालों की चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे शरीर के स्नायुतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

-बेसन के लड्डू, बर्फी तथा छेने में चाँदी का वर्क लगाया जाता है। कुछ हलवाई चाँदी वर्क की जगह एल्युमिनियम का वर्क लगा देते हैं, जो कैंसर उत्पन्न करता है।

-आर्जीमोन और बिनौले के बीज का तेल सरसों के तेल में मिला दिया जाता है ।ये जहरीले होते हैं और एलर्जी, लीवर के रोग पैदा करते हैं।

-डेल्टिरन, ईपीएन, फॉस्वेल और क्लोरडैन जैसे कीटनाशक अत्यंत विषैले हैं। इससे नपुंसकता, खून की कमी या रक्त कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी भी हो सकती है। एल्ड्रिन से सिरदर्द, सुस्ती और उल्टी की शिकायतें, हेप्टाक्लोर से लीवर की खराबी, प्रजनन क्षमता कम होना आदि दुष्प्रभाव होते हैं।

-मैलेकाइट ग्रीन एक केमिकल युक्त रंग, जो सब्जियों को हरा दिखाने के लिए प्रयोग होता है। यह लीवर, आंत, किडनी सहित पूरे पाचनतंत्र को नुकसान पहुँचाता है। नपुंसकता और बांझपन की समस्या हो सकती है।

-आक्सीटैसिन इंजेक्शन का प्रयोग सब्जियों को जल्दी बढ़वार तथा गाय, भैंसों से अधिक दूध लेने के लिए किसानों और ग्वालों द्वारा प्रयोग। इससे उच्च रक्तचाप, सांस में परेशानी, हृदयाघात जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं।

-मिथेलिन फलों और सब्जियों को हरा एवं आकर्षक बनाने के लिए इसके घोल में रखा जाता है। इसके प्रयोग से फल और सब्जी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाते हैं।

-कार्बाइड (कैल्शियम कार्बाइड) रसायन का प्रयोग फलों (केले, आम, पपीता, बेल आदि) को अप्राकृतिक रूप से पकाने में उपयोग। इससे फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है। वह जहरीले हो जाते हैं तथा पाचन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। इससे कैंसर, स्मृतिह्रास, आँखों में जलन, त्वचा तथा श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं।

औषधियों में मिलावट और नकली दवाओं का खतरा

भारत को "**विश्व की दवा निर्माण राजधानी**" कहा जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश यही क्षेत्र आज **नकली औषधियों की छाया** में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, **भारत में बिकने वाली लगभग १०% दवाएँ नकली या घटिया गुणवत्ता की** हैं।

खांसी की दवाओं में जहरीले रसायनों की मिलावट के अभी दो माहों (सितंबर - अक्टूबर २०२५) में मिले मामलों ने देश में औषधियों में हो रहे 'खेल' की पोल खोल दी है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सीरपों के प्रयोग से हुई १९ बच्चों की दर्दनाक मौतों से देश भर में आक्रोश और चिन्ता का भय व्याप्त हो गया है। तमिलनाडु की २० से अधिक दवा निर्माता कंपनियों में ऐसे कफ सीरप मिले हैं. जिनमें विषैला पदार्थ पाए जाने की पुष्टि हुई है। ये कफ सीरप देश के विभिन्न राज्यों, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के मेडिकल स्टोरों, अस्पतालों तथा थोक दवा विक्रेताओं के यहाँ भी मिले हैं। खांसी - जुकाम से पीड़ित बच्चों को कोल्ड्रिफ (प्रतिबंधित सीरप) में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ४८.६ प्रतिशत पायी गई, जबकि इसमें ०.१०प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही रिलीफ कफ, रेस्पीकेश, टी आर - कफ सीरप में डीईजी अधिक मात्रा में मिली। भारत में बेची जाने वाली दवाओं में डाइथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) /एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) की मात्रा जाँच में गड़बड़ी पायी गई।

डीईजी और ईजी का प्रयोग ग्लिसरीन में मिलावट के रूप में ही होता है। ग्लिसरीन की भारी माँग और प्रतिवर्ष ४५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि के कारण इसमें पाम आयल की मिलावट का खेल धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। इसके जहर से शुरू - शुरू में छोटे बच्चों में सुस्ती, पेटदर्द, उल्टी - दस्त, सांस लेने में कठिनाई, गुर्दे फेल होना, यकृत का नुकसान जैसे गंभीर लक्षण दिखते हैं।

ऐसे ही देशभर में दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी के अंतर्गत केन्द्रीय औषधि मानक नियत्रंण संगठन ने सितंबर २०२५ के लिए ड्रग एलर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ११२ दवा नमूने मानक गुणवत्ता से कम पाए गए,जबकि कई दवाएँ नकली मिली। सीडीएससीओ के अनुसार, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने इस अवधि में ५२ दवा नमूने तथा राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने ६० नमूने मानक गुणवत्ता से कम पाए गए।

भारत के राष्ट्रीय नियामक - केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जाँच में पाया कि नकली या अधोमानक दवाएँ झोलाछाप तथा निजी चिकित्सको द्वारा लिखी गई थीं या आसपड़ोस की दवा - दुकानों से बिना डाक्टरी पर्चे के इनको खरीदा गया। निम्न और मध्यम आय वाले लोगों में बिना डाक्टरी सलाह के दवा खरीदने की मानसिकता बढ़ रही है। यहीं नकली और मिलावटी दवाओं की खपत होती है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में प्रायः डाक्टर मिलते नहीं हैं या निश्चित कार्यसमय में केवल कुछ ही रोगी उनसे परामर्श ले पाते हैं। मेडिकल स्टोरों पर ग्राहक से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाती और उन्हें इच्छित दवाएँ आसानी से मिल जाती हैं।

भारत में केवल कफ सीरप का बाजार वार्षिक १० प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर के साथ फलता - फूलता उद्योग है। वर्ष

२०२४ में यह ६.२५ करोड़ डालर का था, जिसके २०३५ तक ७४.३ करोड़ डालर तक पहुँचने की संभावना है।

औषधि मिलावट के प्रमुख रूप:

1. **सक्रिय तत्व की मात्रा घटाना** – दवा का प्रभाव कम या शून्य हो जाता है।
2. **नकली पैकिंग में घटिया पदार्थ** – दिखने में असली परंतु प्रभावहीन या विषाक्त।
3. **एक्सपायर्ड दवाओं का पुनः लेबलिंग**।

वैज्ञानिक दुष्परिणाम:

- रोग की पुनरावृत्ति या असफल उपचार।
- प्रतिरोधी जीवाणुओं (antibiotic resistance) का विकास।
- हृदय, गुर्दे व तंत्रिका तंत्र पर विषाक्त प्रभाव।
- कुछ मामलों में मृत्यु तक।
- कैंसर, पक्षाघात, हृदयाघात, मानसिक रोग आदि गंभीर बीमारियाँ

मिलावट की सामाजिक और आर्थिक जड़ें:

अत्यधिक लाभ कमाने की लालसा -

व्यापारी पर्वों, त्यौहारों और शादी - विवाह के अवसरों पर बढ़ती खरीदारी भाँपकर अधिक लाभ कमाने की लालसा रखते हैं, इससे चीजों में मिलावट करके खपाने से नहीं चूकते हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा और लागत घटाने की प्रवृत्ति से भी वे असली वस्तुओं के स्थान पर डुप्लीकेट उत्पाद रखते हैं। ये उत्पाद सस्ते और देखने में आकर्षक भी होते हैं। लोग खाने की चीजों के स्वाद और शुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रायः उसी घटिया पदार्थ का प्रयोग कर लेते हैं।

कानूनी ढिलाई और भ्रष्टाचार –

प्रायः सरकारी तंत्र मिलावटी वस्तुओं की जाँच और दवाओं की गुणवत्ता परखने में अक्षम रहता है। इसका एक बड़ा कारण सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है, जिसके चलते नकली और अधोमानक उत्पाद बनते हैं और बिकते हैं। कभी-कभी गुणवत्ता परीक्षण के नाम पर धर - पकड़ की खानापूरी होती है, किन्तु कुछ दिनों बाद पुनः यथास्थिति हो जाती है। निरीक्षण और दंड की प्रक्रिया कमजोर होने के कारण गलत धंधे का खेल चलता रहता है।

उपभोक्ता की अनभिज्ञता –

लोग सस्ते दाम देखकर गुणवत्ता भूल जाते हैं, और वे मिलावटी सामग्री का प्रयोग करते रहते हैं। ग्राहक खाद्य पदार्थ हो या दवा कामचलाऊ चाहता है, भले ही उससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा हो। उसे अपनी भूल का तब आभास होता है, जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और तब पानी सिर से ऊपर आ चुका होता है।

खाद्य और औषधि प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की कमी –

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य स्तरीय खाद्य एवं औषधि प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भारी कमी है। जहाँ ५० फैक्टरियों पर एक औषधि निरीक्षक और प्रत्येक २०० दवा दुकानों पर एक निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, वहाँ लगभग ४० से

५० प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। प्रयोगशालाओं की भी सीमित संख्या है,जिससे पकड़ी गई मिलावटी सामग्री अथवा दवा की जाँच सही समय पर नहीं हो पाती है। इससे मिलावटखोरों या नकली दवा - विक्रेताओं का दुस्साहस और बढ़ जाता है।

ढाँचागत कमियों का अनुचित लाभ –

गलत दवाओं के निर्माण या वितरण पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० की धारा २७ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन ढाँचागत कमियों का अनुचित लाभ मिलावटखोर उठाते रहते हैं। कानून का सख्ती से पालन न होने से काला धंधा चालू रहता है।

मुकदमों के लिए नहीं मिल रहे शासकीय अधिवक्ता -

शासन ने नकली, मिलावटी या अधोमानक खाद्य पदार्थों या दवा मिलने पर मुकदमों की पैरवी के लिए जिलों में शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) और अभियोजन अधिकारी नामित करने के आदेश जारी किए गए थे, किन्तु इसके बाद भी मुकदमों की पैरवी के लिए समस्याएँ बनी हुई हैं।

ग्रामीण और असंगठित बाजारों में निगरानी का अभाव-

एफएसडीए की जो त्वरा मुख्य पर्वों के समय होती है,वह वर्ष भर होनी चाहिए। नमूने तो लिये जाते हैं, लेकिन लैब की कमी से जाँच रिपोर्ट आने में बहुत समय लग जाता है। इससे मिलावटखोरों का साहस घटने के बजाय बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों या दवा - स्टोरों की जाँच नगण्य है, इससे वहाँ मिलावट का धंधा जोरों पर चलता रहता है। लोगों में जागरूकता की कमी होने से मिलावटखोरों की चाँदी कटती है। ग्राहक वस्तु या दवा का सही नाम का लेबल, एक्सपायरी डेट एवं मूल्य देखकर ही क्रय करें। डुप्लीकेट या सस्ती या वैकल्पिक नामों की वस्तुएँ पर विश्वास न करें। लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

चिकित्सकों द्वारा रोगियों के साथ अशिष्ट आचरण –

प्रायः जब बीमार व्यक्ति सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए जाता है, तब उसे पूरी दवाएं नहीं मिल पातीं और उसे किसी अमुक मेडिकल स्टोर पर जाने की सलाह दी जाती है। निजी चिकित्सक तो इससे आगे बढ़कर ऐसी दवाएँ लिखते हैं, जो उन्हीं के क्लीनिक या किसी विशिष्ट मेडिकल स्टोर से ही मिलती हैं। चिकित्सकों का यह अनुचित व्यवहार केवल दवाओं की बिक्री से जुड़े कमीशन के कारण होता है। इसमें सस्ती और मिलावटी दवाएँ भी मनमानी कीमत पर खपाई जाती हैं। इस अलिखित समझौते से संबंधित किसी अभिलेख की जाँच कभी नहीं होती।

कानूनी प्रावधान और सरकारी प्रयास

1. **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ (FSS Act, 2006)**

- इसके अंतर्गत **FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India)** की स्थापना हुई।
- यह देशभर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबलिंग एवं सुरक्षा की निगरानी करता है।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० (Drugs and Cosmetics Act)

- नकली या घटिया दवा बनाने व बेचने पर **आजीवन कारावास** तक का प्रावधान।

3.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०१९

- उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।

4. 'ईट राइट इंडिया' और 'सुरक्षित आहार अभियान'

- नागरिकों को शुद्ध आहार के प्रति जागरूक करने हेतु FSSAI द्वारा चलाए गए अभियान।
- एफएसएसएआई द्वारा खाद्य उत्पाद के नाम या ब्रांड में ORS(ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश फलों पर आधारित (फ्रूट बेस्ड). नॉन कार्बनेटिड या रेडी - टू - ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी लागू होगा।
- FSSAI ने पॉली परफ्लूरो एल्किल और बिस्फेनाल नामक दो रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। ये रसायन पैकेजिंग को तेल और पानी प्रतिरोधी बनाने के लिए प्रयोग होते हैं।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दवाएँ प्रभावी, सुरक्षित और विश्वसनीय हों। संबंधित नियामक संस्थाओं को चाहिए कि वे कठोर गुणवत्ता मानक लागू करें, नियमित जाँच करें और नकली एवं घटिया निर्माताओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करें।

5. 'Pharma Vision 2020' और 'जेनरिक दवा आंदोलन'

- दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व जनसुलभ दवाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास।

6. फार्मा कंपनियों को पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक -

हाल के महीनों में डायएथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जैसे रसायनों के कफ सीरप में संदूषण के मामले सामने आए हैं. जिससे गंभीर सुरक्षा चिंताएँ पैदा हुईं। अब इन रसायनों का प्रयोग करने वाली फार्मा कंपनियों को ओएनडीएलएस पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। जिन कंपनियों के पास पहले से मैनूफैक्चरिंग लाइसेंस है, उन्हें भी पोर्टल पर अपनी जानकारी अद्यतन करनी होगी।

समाधान के वैज्ञानिक एवं सामाजिक उपाय

(क) विज्ञान और तकनीक की भूमिका

- **Nano-sensors** और **AI आधारित Detection Systems** का उपयोग कर खाद्य जाँच को तीव्र और सटीक बनाना।
- **Blockchain Technology** से आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- **Biomarker-based Tests** से नकली दवाओं की पहचान।

(ख) सरकारी एवं संस्थागत सुधार

- प्रत्येक जिले में *Food & Drug Testing Labs* की स्थापना।

- त्वरित न्यायालयों (Fast Track Courts) में मिलावट मामलों की सुनवाई।
- छोटे विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन व्यवस्था।

(ग) शिक्षा और जन-जागरूकता

- विद्यालयों और महाविद्यालयों में "**Food Safety Literacy**" अभियान।
- मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता को जागरूक करना।
- "खाद्य शुद्धता सप्ताह" जैसी पहलें।

(घ) व्यक्तिगत स्तर पर उपाय

- पैकेज्ड खाद्य खरीदते समय **FSSAI लाइसेंस नंबर** अवश्य देखें।
- खुले तेल, मसाले या मिठाइयाँ लेने से बचें।
- घर में परीक्षण किट (जैसे 'Detect Adulteration with Rapid Test – DART Kit') का प्रयोग।
- *स्थानीय उत्पादकों और सहकारी संस्थाओं* से वस्तुएँ लेना अधिक सुरक्षित।

मिलावट केवल भौतिक नहीं, **मानवीय मूल्यबोध की मिलावट** है। जब व्यापारी लाभ के लिए जीवन को दाँव पर लगाता है, तो वह समाज की आत्मा को विषाक्त कर देता है। गांधीजी ने कहा था— "**व्यापार तभी धर्म है, जब उसमें मानवता का भला निहित हो।** " अतः शुद्धता केवल खाद्य या औषधि की नहीं, **विचारों और नीयत की भी होनी चाहिए।**

खाद्य और औषधि मिलावट आज भारत की **प्राणघातक सामाजिक समस्या** बन चुकी है। यह एक ऐसी छिपी हुई महामारी है जो करोड़ों लोगों के जीवन को धीरे-धीरे ग्रस रही है। इससे मुक्ति केवल सरकारी कानूनों से नहीं, अपितु **सामूहिक जागरूकता**, **वैज्ञानिक निगरानी**, **और नैतिक प्रतिबद्धता** से संभव है। हमें यह समझना होगा कि – "**शुद्ध आहार और शुद्ध औषधि केवल स्वास्थ्य का ही नहीं**, **राष्ट्र के चरित्र का प्रश्न है।** " जब समाज शुद्धता को मूल्य मानकर जीना सीख लेगा, तभी मिलावट की यह अंधेरी सुरंग समाप्त होगी और एक **स्वस्थ**, **सुरक्षित**, **सशक्त भारत** का उदय होगा।

गौरीशंकर वैश्य विनम्र
११७ आदिलनगर, विकासनगर
लखनऊ २२६०२२
दूरभाष ०९९५६०८७५८५